

अभिलेख उपस्थापित

अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक-470(ii), दिनांक-20/11/17 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। ( अभिलेख के साथ संलग्न ) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम घसिया महतो पिता रघुवा महतो दर्ज है।  
 (ख) पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम तथा रैयत के पास कुल जमीन -  
 खाता 22 -राज किशोर महतो पिता स्वे रामदास महतो- 285-3.77,  
 खाता 22 -रामदास महतो पिता घसिया महतो- 23.00- 4.73 है।  
 (ग) विक्रेता जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध - खाता -22- स्वयं, खाता -23- पुत्र।  
 (घ) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि कायमी किस्म का है।  
 (ङ) प्रस्तावित जमीन बिक्री देने वाले क्षेत्र में आवेदक का कुल अंश है।  
 (च) प्रस्तावित जमीन बिक्री देने के पश्चात आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त जमीन शेष रह जाएगा।  
 (छ) प्रस्तावित जमीन को विक्रेता बीमारी का ईलाज हेतु विक्रय करना चाहते हैं।  
 (ज) क्रेता एवं विक्रेता दोनों पिछड़ी समुदाय के सदस्य हैं तथा दोनों एक ही जिला के अन्तर्गत निवास करते हैं। आवेदित भूमि गैरमजरूआ, भईहरी, भूहदबंदी एवं आदिवासी खाते की नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि में से खाता सं०-20, प्लॉट सं०-315 विक्रेता के खाते में सिर्फ 31 डी० है लेकिन उन्होंने 75 डी० बिक्री हेतु आवेदन किया है। इस प्रकार खाता-23 से संबंधित प्लॉट का विवरण पंजी-11 में दर्ज नहीं पाया, कम्प्यूटर में प्लॉट दर्ज नहीं है एवं क्रेता का आवासीय प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-27/04/2017 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता राजकिशोर महतो, पिता-स्व० रामदास महतो, ग्राम-डोमाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता यशोदा देवी, पति-हरेकृष्ण महतो, ग्राम-डोमाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत नहीं दी जा सकती है एवं वाद को खारिज की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
डोमाडीह	सोनाहातु	20	285	0.60 ए०
		23	315	0.75 ए०
			306	0.81 ए०
			307	0.84 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,  
 बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
 बुण्डू राँची।